

## लोकमंच/न्याय चक्र : बैंकों पर भारी एनपीए; डफिॉल्टरों के लिये चेतावनी

### संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

एक रपॉर्ट के अनुसार सितंबर 2017 में सूचीबद्ध बैंकों का कुल एनपीए 8.36 लाख करोड़ रुपए आँका गया था। इसमें सरकारी बैंकों का एनपीए 7,33,874 करोड़ और नजीबी बैंकों का 1,02,808 करोड़ रुपए था। रज़िर्व बैंक ने ऐसे 12 खातों की पहचान की है, जिनके पास कुल एनपीए का लगभग 25 प्रतिशत फंसा है। एनपीए का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति देश में बैंकों के साथ भारी-भरकम राशिका घपला कर वदेश में जा बैठता है, तो यह मुद्दा फिर से सतह पर आ जाता है।

### क्या है एनपीए?

- गैर-निष्पादनकारी परसिंपत्तियाँ (Non-Performing Assets-NPA) वृत्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा वर्गीकरण है जिसका सीधा संबंध ऋण/ऋण/लोन न चुकाने से होता है। जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में वफिल रहता है तो उसको दिया गया ऋण एनपीए माना जाता है। एनपीए को ऐसी परसिंपत्तिका कहा जा सकता है जो मूल रूप से वसूली की अनुमानित अवधतिक नकद मोदरकिक प्रवाह का हिससा नहीं बनती।

### ऑडिट में हुई अनदेखी

पीएनबी घोटाले में कुछ जानकारों का कहना है कि कुछ कर्मचारियों ने 11,500 करोड़ रुपए की नकिसी का एलओयू जारी करने का कारनामा कैसे अंजाम दिया? फलिहाल यही मानकर चला जा रहा है कि स्विफिट ससिंस्टम (जसिके ज़रयि एलओयू का सत्यापन किया जाता है) और बैंक के अपने आईटी ससिंस्टम (कोर बैंकगि ससिंस्टम) के बीच कसिं प्रकार का तालमेल नहीं था और इस चूक की वजह से हुआ फ़रज़ीवाड़ा ऑडिटर्स की पकड़ में क्यों नहीं आया? रज़िर्व बैंक को सात सालों तक इसकी भनक तक नहीं लगी। बैंकों की भाषा में कहें तो यह एक ऑपरेशनल रसिक था और इसे जुड़े प्रबंधों की ज़मिमेवारी बैंक के बोर्ड और देश में बैंकगि की नगिरानी करने वाली संस्था की बनती है, लेकिन ये दोनों ही संस्थाएँ अपने दायतिव के नरिवाह में नाकाम हुईं।

वृत्ति मंत्रि अरुण जेटली ने भी कहा कि पीएनबी घोटाले में नयिमकों और नगिरानी तंत्र ने आँखें बंद कर ली थीं और ऊपर से ऑडिटों की अनदेखी और चलताऊ रवैये के कारण यह घोटाला इतना वशाल हो गया। कई चरणों का ऑडिटगि तंत्र होने की बावजूद ऐसा हो जाना जानबूझकर अनदेखी करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता।

बैंकों में सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा है, यह सुनिश्चति करने के लिये बराबर उनका ऑडिट चलता रहता है। **कॉनकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, सटेचुटरी ऑडिट** और रज़िर्व बैंक के ऑडिट की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन इस मामले में ऑडिट (लेखा-परीक्षण) करने वाला कोई भी तंत्र अपने दायतिव नरिवाह में नाकाम रहा। बैंक के अपने ऑडिटर्स को स्विफिट ससिंस्टम के पेपर ट्रेल्स का मलिन करके देखना चाहयि था, खोजना चाहयि था कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कोई कड़ी गायब तो नहीं दखि रही? जो ऑडिटर्स पछिली ऑडिट के सही होने की परीक्षा करते हैं और जो ऑडिटर्स बाहर से भेजे जाते हैं, उनको स्विफिट ससिंस्टम के माध्यम से हुए भारी-भरकम लेन-देन पर गौर करना चाहयि था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

### रज़िर्व बैंक ने जारी कयि नए नयिम

फँसे करज़ यानी एनपीए के जल्दी समाधान के लिये रज़िर्व बैंक ने नए नयिम जारी कयि हैं, जो 1 मार्च से लागू होंगे। रज़िर्व बैंक ने नमिनलखित नए नयिमों की अधसिचना जारी कर दी है:

- हर बैंक के बोर्ड को एनपीए समाधान की नीत बिनानी पड़ेगी, जसिमें समय-सीमा भी होगी।
- यदतिव समय में एनपीए का समाधान नहीं होता है तो बैंक को 15 दिन में कंपनी के खलिफ दवालिया कार्रवाई की शुरुआत करनी होगी।
- बैंकों के समूह (Joint Lenders Forum-JLF) की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अभी तक कसिं प्रोजेक्ट के लिये बड़े करज़ कई बैंक मलिकर देते थे, जनिमें एक लीड बैंक होता था।
- यद कसिं कंपनी ने कई बैंकों से करज़ ले रखा है और वह कसिं एक बैंक का करज़ लौटाने में डफिॉल्ट करती है तो दूसरे बैंक भी इससे बचने के लिये कदम उठाएंगे।

- एनपीए के समाधान के लिये अब तक जतिनी योजनाएँ थीं, उन सबको खत्म कर दिया गया है। इनमें स्ट्रैटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग (Strategic Debt Restructuring-SDR), स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेसड एसेट्स-एस4ए (Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets-S4A) और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग (Corporate Debt Restructuring-CDR) भी शामिल हैं।
- बैंक 1 अप्रैल से हर महीने आरबीआई को बड़े करजों की जानकारी देंगे। इसके लिये सेंटरल रपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (Central Repository of Information on Large Credits-CRILC) व्यवस्था होगी।
- 23 फरवरी से 5 करोड़ या इससे ज़्यादा के डफॉल्ट की जानकारी रपोजिटरी को हर सप्ताह देना ज़रूरी कर दिया गया है।
- अब रिस्ट्रक्चरिंग वाले अकाउंट को तत्काल एनपीए की श्रेणी में डालना होगा।
- कोई कंपनी करज लौटाने में कसित का एक हिससा देती है, तो उसे डफॉल्ट माना जाएगा।
- डफॉल्ट होते ही बैंक को वह अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट (Special Mention Account-SMA) श्रेणी में रखना होगा और इसकी जानकारी रज़िर्व बैंक की रपोजिटरी को देनी पड़ेगी।
- 100 करोड़ रुपए या ज़्यादा का करज डफॉल्ट होने पर बाकी बचे करज का रज़िर्व बैंक द्वारा अधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मूल्यांकन करवाना पड़ेगा।
- करज 500 करोड़ रुपए या अधिक का है तो दो एजेंसियों उसका मूल्यांकन करेंगी।
- 2,000 करोड़ या अधिक का करज डफॉल्ट होता है तो डफॉल्ट के 180 दिनों के भीतर समाधान योजना पेश करनी होगी।
- समाधान नहीं हुआ तो 15 दिनों में कंपनी के खिलाफ दवालयिया कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी।

## जल्दी होगा समाधान

- माना जा रहा है कि नए नियमों से एनपीए का जल्दी समाधान होगा। वदिति हो कि पिछले साल भी सरकार ने एनपीए से नपिटने के लिये रज़िर्व बैंक के अधिकार बढ़ाए थे।
- अभी तक लगभग 40 बड़ी डफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ बैंकों को कार्रवाई के नरिदेश दिये जा चुके हैं।
- इनमें से कई कंपनियों के खिलाफ दवालयिया कानून के तहत कार्रवाई भी चल रही है।
- जनि कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, उन मामलों में नए नियम लागू नहीं होंगे।

इससे पहले रज़िर्व बैंक ने आंतरिक सलाहकार समिति का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय बैंक के नदिशक मंडल के अधिकांश स्वतंत्र नदिशक रखे गए हैं। दवाला तथा दवालयियापन संहिता के तहत एनपीए मामलों में क्या कार्रवाई की जानी है, समिति ने इस पर वचार-वमिर्श कर अपनी सफिराशें दी हैं।

### चीन की तरह कठोर कार्रवाई होनी चाहिये

पछिले वर्ष जब चीन में एनपीए की समस्या ने सरि उठाया तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगभग 67 लाख ऐसे डफॉल्टरों को काली-सूची में डालकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। चीन ने 2015 में करज वसूली का अभियान छेड़ा था, जिस पर यह लगाई ही है, साथ ही उनके सामाजिक बहिष्कार का फैसला भी किया है। अब वहाँ करज नहीं चुकाने वालों को न तो करिये पर मकान मल्लिगा, न ही होटल में कमरा। ऐसे लोग हवाई जहाज़ और बुलेट ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे और उनके बच्चों को नज्जि स्कूलों में दाखला भी नहीं मल्लिगा। करज नहीं चुकाने वालों का पर्सनल आईडी नंबर ब्लॉक किया जाएगा और ऐसा होने पर वे नागरिक सुवधाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे।

करज के बोझ के मामले में आज भारत की जतिनी जीडीपी है, उससे आधे से ज़्यादा करज है। अपनी आर्थिक सेहत दुरुस्त करने के लिये जब चीन ऐसे सख्त फैसले ले सकता है तो हम क्यों नहीं? बढ़ते एनपीए की समस्या को देखते हुए चीन की तरह भारत में भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है।

(टीम वृष्टि इनपुट)

## केवल 12 खातों में है 25 परतशित एनपीए

- बैंकों की गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों (एनपीए) की वसूली को तेज करने के लिये रज़िर्व बैंक सक्रिय हो गया है। देश में 9339 ऐसे करजदार हैं, जनिहोंने 1,11,738 करोड़ रुपए का करज जानबूझकर नहीं चुकाया है यानी किये willful defaulter हैं।
- इसमें से 93397 रुपए का करज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने दिया है। माना जाता है किये सभी ऋण चुकाने में सक्षम हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है।
- इनके अलावा, रज़िर्व बैंक ने ऐसे 12 खाताधारकों को चहिनति किया है, जनिके ऊपर बैंकों के कुल एनपीए की एक चौथाई राशा है।
- रज़िर्व बैंक ने इन 12 खातों के खिलाफ दवालयियापन संहिता के तहत तत्काल दवालयिया कार्रवाई करने को कहा है।
- इन खातों में, प्रत्येक में 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का ऋण है। लेकिन रज़िर्व बैंक ने इन बैंक खातों के डफॉल्टरों को सार्वजनिक नहीं किया है।

### दवाला तथा दवालयियापन संहिता, 2016

केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दशा में कदम उठाते हुए दवालयियापन संहिता संबंधी कानून बनाया है। यह कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है तथा कंपनी एक्ट, लमिटिड लाइबलिटी पार्टनरशपि एक्ट और 'सेक्युटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।

- कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालयिया हो सकते हैं।

- यदि कोई आर्थिक इकाई दवालयी होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्तिया फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है।
- देश में अभी तक दवालयीपन से संबंधित कम-से-कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।

### एनपीए से नपिटने में कारगर

- जब कोई देनदार बैंक को अपनी देनदारियाँ चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो, तब उसके द्वारा लिया गया ऋण एनपीए कहलाता है। अर्थात् जब किसी ऋण से बैंक को रटिर्न मलिना बंद हो जाता है, तब वह उसके लिये एनपीए या बैड लोन हो जाता है। कई बार ऋणी दवालयी हो जाता है, ऐसे में बैंक उसकी परसिम्पत्तियों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
- दवालयीपन संहिता, 2016 के अनुसार किसी ऋणी के दवालयी होने पर आसानी से उसकी परसिम्पत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है। यदि 75 प्रतिशत ऋणदाता सहमत हों तो ऐसी कोई कंपनी, जो अपने ऋण नहीं चुका पा रही, पर 180 दिनों (90 दिनों के अतिरिक्त रियायती समय के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है। यदि तब भी वसूली नहीं हो पाती है तो वह फर्म या व्यक्ति स्वयं दवालयी हो जाएगा।
- दवालयीपन संहिता, 2016 के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा। ऋण न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा कि वह एक निश्चिती समय में अपने ऋण को चुका दे, अन्यथा स्वयं को दवालयी घोषित करे। यदि कोई ऋणी दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा का भी प्रावधान है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

- पछिले कुछ वर्षों में बैंक घोटालों में लगातार तेजी आई है। 2013 में रज़िर्व बैंक के तत्कालीन डप्टी गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने बताया था कि एक करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटालों का हिसा 2004-05 से 2006-07 के बीच 73 प्रतिशत था, जो 2010-11 और 2012-13 में 90 प्रतिशत हो गया।
- 2013 में सार्वजनिक बैंकों का एनपीए 1,55,890 करोड़ रुपए था जो 2017 में बढ़कर 6,41,057 करोड़ रुपए हो गया यानी इन चार वर्षों में इसमें 311.22 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी अवधि में नजि बैंकों का एनपीए 19,986 करोड़ रुपए से 269.47 प्रतिशत बढ़कर 73,842 करोड़ रुपए पहुँच गया।
- रज़िर्व बैंक की **फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रपिर्ट**, 2017 के अनुसार एक लाख से ऊपर के घोटाले का कुल मूल्य पछिले पाँच वर्षों में 9750 करोड़ से बढ़कर 16,770 करोड़ तक पहुँच गया। रपिर्ट में यह भी कहा गया कि 2016-17 में घोटाले की कुल राशिका 86 प्रतिशत हिसा लोन से जुड़ा था। इस रपिर्ट के अनुसार, देश का एनपीए कुल जीडीपी का 9.6 प्रतिशत है।

### नजिकरण नहीं है समाधान

बढ़ते बैंकगि घोटालों के साथ बढ़ते एनपीए के मददेनज़र एक राय यह भी सुनने में आ रही है कि क्यों न इन बैंकों को भी नजि हाथों में सौंपकर सारा झंझट ही खत्म कर दिया जाए। यह ठीक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में उद्योग मंडल एसोचैम का कहना है कि सरकार को बैंकों में अपनी हिसदेवारी 50 प्रतिशत से कम कर देनी चाहिये ताकि ये बैंक भी नजि क्षेत्र के बैंकों की तरह जमाकर्त्ताओं के हितों को सुरक्षित रखते हुए अपने शेयरधारकों के पूर्ण जवाबदेही बरत सकें। सरकार के लिये करदाताओं के पैसे से इन बैंकों को संकट से उबारते रहने की भी एक सीमा है।

लेकिन नजिकरण इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि गाँवों और छोटे कस्बों तक अपनी पहुँच बढ़ाना नजि बैंकों के लिये लाभकारी नहीं होता। ऐसे में देश की बड़ी आबादी बैंकगि सिस्टम से कटने का खतरा होने के अलावा सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो जाएगी। आज मनरेगा की मज़दूरी से लेकर लगभग सारी सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में जा रही है। यह काम सरकारी बैंकों के ज़रिये ही संभव है। नजि बैंक तो न्यूनतम जमा राशिका भी इतनी ज्यादा मांगते हैं कि निम्न वर्ग के लोग उनमें खाता ही नहीं खुलवा सकते। उनका सिस्टम शहरी मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

यहाँ यह भी गौरतलब है कि विश्वव्यापी मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाई तो इसका काफी श्रेय सरकारी बैंकों की धीमी रफ्तार को जाता है। ऐसे में सरकारी बैंकों को सुधारने की कोशिश होनी चाहिये...उनके प्रबंधन का ढाँचा बदला जाना चाहिये और नियमन तंत्र को दुरुस्त किया जाना चाहिये।

(टीम दृष्टि इनपुट)

**निष्कर्ष:** जहाँ भी पैसों का लेन-देन होता है, वहाँ फ़र्ज़ीवाड़े की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बैंकगि घोटाले केवल भारत में ही होते हैं, विश्व के लगभग हर देश में ऐसे फ़र्ज़ होते हैं। बैंकों में इस तरह की गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन इनकी पुनरावृत्त को कम ज़रूर किया जा सकता है। बैंकों का पर्यायन परपित्तों के माध्यम से किया जाता है और इस आलोक में बैंकों के नियामक भी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करते रहते हैं, जिनका अनुपालन करना बैंकों के लिये ज़रूरी होता है। आमतौर पर फ़र्ज़ीवाड़े को तभी अंजाम दिया जाता है, जब विविध परपित्तों में निर्देशित नियमों की अवहेलना की जाती है।

बढ़ते जा रहे बैंकगि घोटालों और फ़र्ज़ीवाड़ों पर लगाम लगाने के लिये बैंककर्मियों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। बैंकगि व्यवस्था में धोखाधड़ी के डेटाबेस को मजबूत करने से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी का पता लगाने में डेटाबेस की अहम भूमिका हो सकती है। बैंकों द्वारा संबंधित सूचनाओं को आपस में साझा करने से जोखिम को कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में बैंकों को स्वयं को तकनीक कुशल बनाना भी फायदेमंद होगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/heavy-npa-on-banks-warning-for-defaulter>

